

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.2(ग)(1)अलेसे- I / 566

दिनांक:- 05.03.2025

आदेश संख्या 174 / 24-25

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 29(2) के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 के लिए गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.02.24 को हुई। उक्त बैठक में श्री चेताराम बैरवा (जन्म दिनांक 02.12.1982, लिंक नम्बर 9276), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I के पद पर चयन के नतीजे को बन्द लिफाफे में रखा गया। श्री बैरवा के विरुद्ध जारी दण्डादेश दिनांक 09.01.2023 को प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, बांदीकुई के आदेश क्रमांक 3152 दिनांक 14.02.2025 द्वारा निरस्त करने के फलस्वरूप बन्द लिफाफे को दिनांक 18.02.2025 को खोला जाकर उक्त विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर श्री बैरवा को डीपीसी वर्ष 2023-24 के रिक्त पद के विरुद्ध दिनांक 02.09.2023 से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I पद के लेवल L-12 में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है। श्री बैरवा की वरिष्ठता वर्ष 2023-24 में चयनित श्री राजेन्द्र कुमार नाई एवं श्री राजीव कुमार शर्मा के मध्य रहेगी।

पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

उक्तानुसार पदोन्नति के फलस्वरूप श्री बैरवा को उनके वर्तमान कार्यालय में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I के पद पर पदस्थापित किया जाता है।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.2(ग)(1)अलेसे- I / 566

दिनांक:- 05.03.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज.
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज. अजमेर
3. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष.....
4. श्रीसहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालयको निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब इस विभाग को भिजवायें।
5. उप निदेशक (एसीपी)को वेबसाइट पर अपलोड एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु
6. निजी सचिव निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
7. अलेसे-II / डीपीसी शाखा / ए.सी.आर. शाखा / जांच शाखा / गार्ड फाईल / निजी पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)